

न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

014/2017-46/17-18

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०.....सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
15.06.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3102/सी०आर० दिनांक 12.06.2017 द्वारा पसराहा थाना काण्ड संख्या-157/2016 दिनांक 30.12.2016 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-1000 एम०एल० का Royal Stag कंपनी का 12(बारह) बोतल एवं Rum XXX कम्पनी का 02 (दो) बोतल कुल 11(चौदह) बोतल विदेशी शराब जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 1000 एम०एल० का 01 (एक) बोतल एवं 180 एम०एल० का 01(एक) बोतल कुल-02 (दो) बोतल विदेशी शराब जाँच हेतु रसायन परीक्षक विभाग कुम्हारार, बिहार पटना भेजा गया है, तथा शेष 1000 एम०एल० का 11 (ग्यारह) बोतल एवं 180 एम०एल० का 01(एक) बोतल विदेशी शराब कुल-11.180 लीटर थाना के मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।</p> <p>1000 एम०एल० का 11 (ग्यारह) बोतल, 180 एम०एल० का 01 (एक) बोतल विदेशी शराब कुल-11.180 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, पसराहा को निदेश दिया जाता है कि पसराहा थाना कांड संख्या-157/2017 जप्त विदेशी शराब कुल-11.180 (ग्यारह लीटर 180 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, पसराहा/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>1-11.180 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करने के लिए अनुमति दी जाय। 2-180 एम०एल० का 01 (एक) बोतल विदेशी शराब को सुरक्षित रखा जाय। 3-1000 एम०एल० का 11 (ग्यारह) बोतल विदेशी शराब को सुरक्षित रखा जाय।</p> <p>15.06.2017</p>

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।